

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 33/2023 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

बलवीर पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राजस्थान।

-वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री कृष्णकुमार वकील-वादी  
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 14.02.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री कृष्णकुमार वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर की उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक 3 आरपीएम के प.नं. 196/22 कि.नं. 16, 17, 24, 25 की 1.012 है. भूमि में दर्ज वादी का नाम बलराम पुत्र पदमाराम के स्थान पर बलवीर पुत्र पदमाराम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.02.2023 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

